[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–3 एच०एल०ए०

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2025 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, –

(i) खण्ड (छ) तथा (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:–

'(छ) "दस्तावेज" से अभिप्राय है, डिजीटल रिकार्ड सहित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रुप में कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अध्ययन के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा हेतु प्रमाण–पत्र, ट्रैवल पेपर, वीजा, टिकट या पासपोर्ट जो इस अधिनियम के अधीन पर्यटन या प्रवास के प्रयोजन के लिए योग्यता के समर्थन में साक्ष्य के रुप में उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(ज) "प्रवासी" से अभिप्राय है, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित विदेश में नियोजन हेतु प्रवास को छोड़कर, भारत का कोई नागरिक, जो किसी भी प्रयोजन जैसे अध्ययन, पर्यटन इत्यादि के लिए भारत से बाहर प्रवास करने के लिए आशयित है या प्रवास करता है या प्रवास कर गया है;';

(ii) खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

(ण) "ट्रैवल एजेंट" से अभिप्राय है, व्यवसाय करने वाली कोई भी फर्म या कम्पनी या इकाई या कोई व्यक्ति, जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित होने वाली भर्ती के व्यवसाय को कार्यान्वित करने के सिवाय, देश के भीतर आने वाले पर्यटकों या यात्रियों या व्यक्तियों को विदेश भेजने से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था, प्रबन्धन या संचालन करने अथवा जो किसी

विदेश में भेजे गए व्यक्तियों से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले मामलों में शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी मामला शामिल होगा, अर्थात:–

(क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन यथा शासित विदेश में नियोजन हेतु भर्ती या प्रवास को छोड़कर पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे सम्बन्धित आवेदनों की प्रक्रिया; या

(ख) किसी कम्पनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रुप में निम्नलिखित कार्य करना–

(i) हवाई यात्रा टिकटों की बिक्री करना; और

(ii) भूमि या समुद्री रास्ते से देश के भीतर या किसी विदेश की यात्रा के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना; या

(ग) विदेश में नियोजन को छोड़कर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करना–

(i) शिक्षा प्राप्त करने;

(ii) पर्यटक या ट्रैवलर के रुप में सुखद यात्रा करने;

(iii) चिकित्सा उपचार प्राप्त करने;

(iv) सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीतमय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने;

(v) धर्म का प्रसार या प्रचार करने;

(vi) खेल प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने; या

(घ) विदेश में नियोजन से संबंधित मामलों को छोड़कर, ऐसा विज्ञापन देना या प्रचार करना, जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से विदेश के किसी भी क्षेत्र की यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित हो; या

(ड़) विदेश में नियोजन के अलावा, प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना या व्याख्यान देना या ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना; या

(च) विदेश में नियोजन हेतु प्रवास से भिन्न प्रवास के प्रयोजनार्थ वैवाहिक गठबन्धनों तथा दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करना; या

(छ) विदेश में नियोजन से भिन्न इसमें, इससे पूर्व वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए देश के भीतर या भारत से विदेश के लिए किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करना; या

(ज) खण्ड (क) से (छ) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रुप से दलाल के रुप में कार्य करना।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,– 2025 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 7 का संशोधन।

(i) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान ":" चिह्न के स्थान पर, ";या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ज) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है:"।

4. मूल अधिनियम की धारा 22 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :– 2025 के हरियाणा अधिनियम 10 में धारा 23 का रखा जाना।

"23. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.– इस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय तत्समय् लागू किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में तथा इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित से भिन्न उपबन्धों में किसी असंगतता के मामले में, केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव असंगतता की सीमा तक होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि हाल ही में लागू किए गए 'हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025' जिसका उद्देश्य राज्य में काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करना है तथा इसके प्रावधानों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विदेश में रोजगार हेतु भारतीय नागरिकों के प्रवास को नियंत्रित करने वाले उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के साथ असंगत प्रतीत होते हैं। कुछ प्रावधान, विशेष रूप से ट्रैवल एजेंटों के कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं। ट्रैवल एजेंट उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों, जिनमें उत्प्रवासियों के महारक्षक (पी.जी.ई.) के साथ अनिवार्य पंजीकरण भी शामिल है, का उल्लंघन करने के लिए इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन से बचने और बेईमान एजेंटों द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों की अवैध भर्ती गतिविधियों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए, यह प्रस्ताव दिया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें सुरक्षित और कानूनी प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करने हेतु समन्वय से कार्य करें।

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 नामक एक विधेयक की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 में संशोधन करके विसंगतियों को दूर करना और हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 तथा उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि भर्ती एजेंटों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत किया जा सके।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 2 मार्च, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 से उद्धरण

धारा 2	(छ) ''दस्तावेज'' का अर्थ है कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अध्ययन, प्रवास या कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा का प्रमाण पत्र, यात्रा दस्तावेज, वीजा, टिकट या पासपोर्ट भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है जिसे पर्यटन या उत्प्रवास के उद्देश्य से योग्यता के समर्थन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या करने का इरादा है; (ज) ''प्रवासी'' का अर्थ है भारत का नागरिक जो अध्ययन, कार्य, पर्यटन आदि जैसे किसी भी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर प्रवास करना चाहता है या प्रवास कर चुका है; (ण) ''ट्रैवल एजेंट'' का अर्थ है कोई फर्म या कंपनी या इकाई या ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पेशा करता है जिसमें देश के भीतर आने वाले पर्यटकों या यात्रियों से संबंधित मामलों की व्यवस्था, प्रबंधन या संचालन करना या व्यक्तियों को विदेश भेजना शामिल है या जो विदेश में भेजे गए व्यक्तियों के मामलों से उत्पन्न होते हैं, सिवाय उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केंद्रीय अधिनियम 31) के तहत शासित भर्ती के कारोबार को करने के और इसमें निम्नलिखित सभी या कोई भी शामिल होगा, अर्थात्: – (क) पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे संबंधित आवेदनों का प्रसंस्करण; या (ख) किसी कंपनी, फर्म या इस तरह की निकायों या इकाइयां, के लिए एजेंट के तौर पर काम करना, जैसे-- (i) हवाई यात्रा टिकट बेचना; और (ii) देश के अंदर या किसी दूसरे देश में जमीन या समुद्र के रास्ते यात्रा के लिए परिवहन के साधन देना; या (ग) विदेश जाने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को परामर्श वीजा सेवा या मार्ग दर्शन देना, ताकि– (i) शिक्षा ले सकें; (ii) पर्यटक या यात्री के तौर पर घूमने–फिरने की जगह पर घूमने जाएं; (iii) चिकित्सा उपचार प्राप्त करना; (iv) सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीत कार्यक्रमों की व्यवस्था करना; (v) धर्म का प्रसार या प्रचार करना; या (vi) खेल टूर्नामेंट या आयोजनों में भाग लेना; या (घ) ऐसा विज्ञापन या प्रचार देना, जो प्रकाशन, संचरण, संचार या इंटरनेट के जरिए किसी विदेशी देश की यात्रा के किसी भी क्षेत्र से सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित हो; या (ड.) उत्प्रवास को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार या व्याख्यान देना या ऐसे मकसदों में मदद करना; या

	(च) उत्प्रवास के मकसद से शादी और गोद लेने का इंतजाम करना; या (छ) किसी भी व्यक्ति की देश के अंदर या भारत से विदेश यात्रा का इंतजाम करना, चाहे वह किसी भी मकसद से हो; या (ज) खंड (क) से (छ) में बताए गए किसी भी मकसद के लिए स्वतंत्र प्रकार के दलाल के तौर पर काम करना।
धारा 7 (1)	(झ) लगातार एक वर्ष तक ट्रैवल एजेंट का पेशा करने में विफल रहा हो:

12467—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.